

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई 2013—आषाढ़ 14, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2013

क्र. ई.-5-485-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. पी. सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 20 से 29 जून 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री के. पी. सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजय तिकी, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा तथा श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय तिकी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-919-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. जे विजय कुमार, आयएएस., सहायक कलेक्टर, सागर को दिनांक 20 मई से 1 जून 2013 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश कार्यांतर स्वीकृत

किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 मई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. जे विजय कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. जे विजय कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जे विजय कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 7 जून 2013

क्र. ई.-5-326-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. सिंघई, आयएएस., अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 10 से 22 जून 2013 तक, तेरह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8, 9 जून 2013 एवं 23 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. सिंघई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. सिंघई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. सिंघई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. ई.-5-486-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस., राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश को दिनांक 24 जून से 3 जुलाई 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-502-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. जे. टी. एक्का, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा सा.प्र.वि. (मानव अधिकार) को दिनांक 17 से 26 जून 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15 एवं 16 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) डॉ. जे. टी. एक्का की अवकाश की अवधि में श्री सुदेश कुमार, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य, जन शिकायत निवारण तथा उच्चानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा सा.प्र.वि. (मानव अधिकार) का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. जे. टी. एक्का को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा सा.प्र.वि. (मानव अधिकार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. जे. टी. एक्का द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा सा.प्र.वि. (मानव अधिकार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग तथा सा.प्र.वि. (मानव अधिकार) के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. जे. टी. एक्का को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जे. टी. एक्का अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-560-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 10 से 22 जून 2013 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 8, 9 एवं 23 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री मोहम्मद सुलेमान की उक्त अवकाश अवधि में श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक ऊर्जा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम जुलानिया, ऊर्जा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2013

क्र. ई-5-816-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएस., कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर को दिनांक 17 से 29 जून 2013 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही दिनांक 15 एवं 16 जून 2013 का सार्वजनिक अवकाश भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री संजीव सिंह की उक्त अवकाश अवधि में श्री दीपक सक्सेना, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास), नरसिंहपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, नरसिंहपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, नरसिंहपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजीव सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक सक्सेना, कलेक्टर, नरसिंहपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-837-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएस., अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल को दिनांक 28 जून से 6 जुलाई 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 7 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. ई-5-560-आयएस-लीव-एक-5.—(1) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जून 2013 द्वारा श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 10 से 22 जून 2013 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया है तथा दिनांक 8, 9, एवं 23 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश भी जोड़ने की अनुमति दी गई है.

(2) श्री मोहम्मद सुलेमान की उक्त अवकाश अवधि में श्री राधेश्याम जुलानिया, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक ऊर्जा विभाग का प्रभार सौंपा गया है.

(3) उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब श्री मोहम्मद सुलेमान की उक्त अवकाश अवधि में श्री के. के. सिंह, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का प्रभार भी सौंपा जाता है.

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, ऊर्जा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

उक्त आदेश दिनांक 10 जून 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2013

क्र. ई-5-477-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राधेश्याम जुलानिया, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 17 से 26 जून 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही इस अवकाश के साथ दिनांक 15 एवं 16 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति दी जाती है.

(2) श्री राधेश्याम जुलानिया की अवकाश की अवधि में श्री रजनीश वैश्य, आयएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी

विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक जल संसाधन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राधेश्याम जुलानिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राधेश्याम जुलानिया द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रजनीश वैश्य, जल संसाधन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राधेश्याम जुलानिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधेश्याम जुलानिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 18 जून 2013

क्र. ई-1-172-2013-5-एक.—श्री अनय द्विवेदी, भाप्रसे. (2010) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़ (कनिष्ठ वेतनमान) पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 19 जून 2013

क्र. ई-5-915-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री नेहा मारव्या, आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला हरदा को दिनांक 23 मई से 1 जून 2013 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री नेहा मारव्या को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री नेहा मारव्या को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री नेहा मारव्या अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 20 जून 2013

क्र. ई-1-10-2013-5-एक.—श्री रजनीश वैश्य, भाप्रसे., (1985), वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास

प्राधिकरण तथा उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कम्पनी लिमिटेड (NBPCL) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-856-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री छबि भारद्वाज, आयएएस., आयुक्त, नगरपालिक निगम, सिंगरौली को दिनांक 17 से 24 जून 2013 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री छबि भारद्वाज को आयुक्त, नगरपालिक निगम, सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री छबि भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री छबि भारद्वाज अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-904-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री शैलेन्द्र कियावत, आयएएस., उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल को दिनांक 2 से 6 जुलाई 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 21 जून 2013

क्र. ई-5-726-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आर. के. श्रीवास्तव, आयएएस., आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल को दिनांक 18 से 29 जून 2013 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 जून 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री आर. के. श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में आयुक्त, जनसंपर्क का प्रभार श्री मनोज श्रीवास्तव, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग को तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार श्री अनुराग श्रीवास्तव, भावसे., आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को सौंपा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आर. के. श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, जनसंपर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज श्रीवास्तव, आयुक्त, जनसंपर्क एवं श्री अनुराग श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-180-2013-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा.प्र.से., अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री प्रवीण गर्ग (1988) वि.क.अ.-सह-आयुक्त, सह-संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्रीमती नीलम शमी राव (1992) केन्द्रीय प्रति-नियुक्ति से वापसी पर पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.	आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन.	संभागीय आयुक्त
3	डॉ. मनोहर अगनानी (1993) आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन.	आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	-

भोपाल, दिनांक 22 जून 2013

क्र. ई-1-183-2013-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा.प्र.से., अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए पद पर आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री एम. बी. ओझा (2001) कलेक्टर, राजगढ़.	कलेक्टर, विदिशा	-
2	श्री मसूद अख्तर (2002) कलेक्टर, सीधी.	कलेक्टर, छतरपुर	-
3	श्री राजेश बहुगुणा (2002) कलेक्टर, छतरपुर.	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर इन्दौर.	-
4	श्री आनंद कुमार शर्मा (2002) कलेक्टर, विदिशा.	कलेक्टर, राजगढ़	-
5	सुश्री स्वाति मीणा (2007) अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	कलेक्टर, सीधी	-

(1)	(2)	(3)	(4)	
6	श्री अविनाश लवानिया (2009) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा पदेन अपर कलेक्टर (विकास) बालाघाट.	प्रोजेक्ट डायरेक्टर, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल (सेवाएं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपते हुए)	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.	वापस बुलाये जाने संबंधी निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 12 जून 2013 बुधवार को जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है. 2. उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.
7	श्री तरुण राठी (2010) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिपरिया, जिला होशंगाबाद.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट (कनिष्ठ वेतनमान).	-	भोपाल, दिनांक 25 जून 2013 क्र. एफ-3-3-2013-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2013 (पूर्वाद्ध) हेतु आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम (प्रति संलग्न) अनुसार मतदान दिनांक 3 जुलाई 2013 बुधवार को जिले के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता है. 2. उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2013

क्र. एफ-3-2-2013-एक-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, नगर परिषद् सोयतकला, जिला शाजापुर के अध्यक्ष को अपने पद से

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरिता बाला, उपसचिव.

परिशिष्ट-एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58-अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 7 जून 2013

क्र. एफ-37-1-2013-तीन-547.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 9(2)(क) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा, पंचायतों में 31 मार्च 2013 तक रिक्त हुए पदों की पूर्ति हेतु तथा नवगठित पंचायतों एवं उन पंचायतों जिनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है तथा जिन ग्राम पंचायतों को आरक्षण से अपवर्जित किया गया है, के आम/ उप निर्वाचन, 2013 (पूर्वाद्ध) निर्वाचन हेतु निम्नानुसार समय अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है:—

क्र.	कार्यवाही	नियम	निर्धारित तारीख	दिन और समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करना.	28	12-6-2013	प्रातः 10.30 बजे से (बुधवार)
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन	29-क	---	उपरोक्तानुसार-----
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23	---	उपरोक्तानुसार-----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की आखरी तारीख	28(क)	19-6-2013	अपराह्न 3.00 बजे तक (बुधवार)
3	नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	28(ख)	20-6-2013	प्रातः 10.30 बजे से (गुरुवार)
4	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखरी तारीख	28(ग)	22-6-2013	अपराह्न 3.00 बजे तक (शनिवार)
5	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन.	38, 39	22-6-2013	अभ्यर्थिता वापसी के ठीक बाद (शनिवार)
6	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28(घ)	3-7-2013	प्रातः 8.00 बजे से 3.00 बजे तक (बुधवार).
7	मतगणना	-	3-7-2013	मतदान केन्द्रों पर मतदान के तुरन्त पश्चात् (बुधवार).
8	सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा			
(i)	पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य के मामले में		4-7-2013	खण्ड मुख्यालय पर प्रातः 9.00 बजे से (मतों के सारणीकरण के तत्काल बाद) (गुरुवार).
(ii)	जिला पंचायत सदस्य के मामले में	-	5-7-2013	जिला मुख्यालय पर प्रातः 10.30 बजे से (शुक्रवार).

हस्ता./-

जी. पी. श्रीवास्तव.

त्रि-स्तरीय पंचायतों में स्थानों (रिक्त) पदों की जानकारी त्रैमास मार्च—2013
(जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रिक्तियों की संख्या)

जिला	जिला पंचायत			जनपद पंचायत			ग्राम पंचायत			विकास- खण्ड	ग्राम पंचायतों की संख्या	आम निर्वाचन	
	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य	सरपंच	उपसरपंच	पंच			सरपंच	पंच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
मुरैना	-	-	-	-	-	1	1	1	21	6	27	-	-
श्योपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-
भिण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	5	-	-
ग्वालियर	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	5	-	-
शिवपुरी	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	16	-	-
दतिया	-	-	-	-	-	-	5	-	17	3	22	-	-
गुना	-	-	-	-	-	-	4	-	15	5	19	-	-
अशोकनगर	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	8	-	-
मंदसौर	-	-	-	-	-	2	7	-	13	6	28	-	-
नीमच	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	23	-	-
रतलाम	-	-	-	-	-	-	5	-	18	4	16	-	-
शाजापुर	-	-	-	-	-	1	1	1	9	4	17	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
उज्जैन	-	-	-	-	-	1	6	3	19	6	22	-	-
देवास	-	-	-	-	-	1	1	-	30	5	35	-	-
राजगढ़	-	-	-	-	1	-	-	-	10	4	17	-	-
सीहोर	-	-	-	-	-	-	1	-	7	5	8	-	-
विदिशा	-	-	-	-	-	1	1	-	22	4	29	-	-
भोपाल	-	-	-	-	-	-	1	-	9	2	10	-	-
रायसेन	-	-	-	-	-	-	1	-	32	6	34	-	-
बैतूल	-	-	-	-	-	-	6	-	15	8	37	1	15
होशंगाबाद	-	-	-	-	-	-	3	3	4	5	7	-	-
हरदा	-	-	-	-	-	-	1	2	7	3	8	-	-
झाबुआ	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	5	-	-
अलिराजपुर	-	-	-	-	1	1	-	-	9	3	18	-	-
इन्दौर	-	-	-	-	-	-	1	-	20	4	23	-	-
धार	-	-	-	-	-	-	2	-	16	5	19	-	-
खरगोन	-	-	-	-	-	2	8	-	34	9	51	-	-
बड़वानी	-	-	1	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-
खण्डवा	-	-	-	-	-	-	1	-	12	6	16	-	-
बुरहानपुर	-	-	-	-	-	-	1	-	22	2	22	-	-
टीकमगढ़	-	-	-	-	-	1	3	-	3	6	12	-	-
पन्ना	-	-	-	-	-	-	3	-	11	4	14	-	-
छतरपुर	-	-	-	-	-	1	1	-	7	5	19	-	-
सागर	-	-	-	-	-	-	3	1	23	10	27	-	-
दमोह	-	-	-	-	-	-	1	-	10	6	11	-	-
जबलपुर	-	-	-	-	-	-	4	-	34	5	38	-	-
कटनी	-	-	-	-	-	-	2	-	7	3	9	-	-
नरसिंहपुर	-	-	-	-	-	3	-	-	7	6	10	-	-
छिंदवाड़ा	-	-	-	-	-	-	6	-	18	7	20	-	-
सिवनी	-	-	-	-	-	-	10	-	40	10	50	-	-
मण्डला	-	-	-	-	-	-	7	-	18	7	26	-	-
डिण्डौरी	-	-	-	-	-	-	8	-	12	6	20	-	-
बालाघाट	-	-	-	-	-	1	14	-	23	10	40	-	-
रीवा	-	-	1	-	-	-	2	-	8	8	36	-	-
सतना	-	-	-	-	-	1	3	-	21	8	31	-	-
शहडोल	-	-	-	-	-	-	5	-	25	4	30	-	-
अनूपपुर	-	-	1	-	-	1	2	-	15	3	47	-	-
उमरिया	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	-	-
सीधी	-	-	-	-	-	-	4	1	16	5	21	-	-
सिंगरौली	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	-	-
कुल योग	0	0	3	0	2	18	139	14	731	237	1033	-	-

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2013

क्र. एफ-1(ए)93-2005-ब-2-दो.—श्री डी. पी. सिंह, भापुरसे., पुलिस उप महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज, बालाघाट को दिनांक 1 से 12 जुलाई 2013 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश, 30 जून 2013 एवं 13 जुलाई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री डी. पी. सिंह, भापुरसे. की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री सचिन अतुलकर, पुलिस अधीक्षक, बालाघाट द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. सिंह, भापुरसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री डी. पी. सिंह, भापुरसे., द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. सिंह, भापुरसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. सिंह, भापुरसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 25 जून 2013

क्र. एफ-1(ए) 398-88-ब-2-दो.—डॉ. विजय कुमार, भापुरसे., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन होमगार्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 24 से 29 जून 2013 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 23 एवं 30 जून 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. विजय कुमार, भापुरसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबंधन होमगार्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. विजय कुमार, भापुरसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. विजय कुमार, भापुरसे., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव।

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन आदेश

भोपाल, दिनांक 6 जून 2013

क्र. एफ-4-3-2010-चौवन-2.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 17 मई 2013 के द्वारा पुनर्गठित की गई मसाजिद कमेटी में क्रमांक 2 पर श्री सईद फारुखी पुत्र श्री अब्दुल मतीन फारुखी के नाम के समक्ष सदस्य के स्थान पर सचिव पढ़ा जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव।

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जून 2013

क्र. एफ-13-8-2013-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, अमरकंटक ताप विद्युत् गृह की इकाई क्रमांक 4 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./4308 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 2 मई 2013 से 1 नवम्बर 2013 तक छः माह के लिये छूट प्रदान करता है:—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।

- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

भोपाल, दिनांक 19 जून 2013

क्र. एफ-13-9-2013-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुडा ताप विद्युत् गृह की इकाई क्रमांक 1 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./3205 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 18 मई 2013 से 17 नवम्बर 2013 तक छः माह के लिये छूट प्रदान करता है:—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

क्र. एफ-13-9-2013-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुडा ताप विद्युत् गृह की इकाई क्रमांक 2 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम.पी./3211 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 13 जून 2013 से 12 दिसम्बर 2013 तक छः माह के लिये छूट प्रदान करता है:—

- (1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश, इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- (2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- (3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.
- (4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- (5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं
- (6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. रफीक खान, उपसचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2013

क्र. एफ-11-01-2013-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-1-2013-तीस, दिनांक 6 फरवरी 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी।

2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, भोपाल से उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है। आयुक्त पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है।

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	डिण्डौरी	डिण्डौरी	रामगढ़	प्राचीन किले की ध्वस्त स्थली (रानी अवंतीबाई) रामगढ़	304 305 303	0.30 0.18 0.58	म. प्र. शासन म. प्र. शासन खेमसिंह पिता श्री दिगम्बर शहा	नहीं है.

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक / पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण/पुनरुद्धार का कार्य आयुक्त, पुरातत्व एवं अभिलेखागार, म. प्र. भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिये जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कटेला, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 18 जून 2013

क्र. भवन नामकरण-स्वास्थ्य-2012-1473.—सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम-19-31-1998-11-4, दिनांक 19 मई 1998 अनुसार जिला योजना समिति, नीमच की बैठक दिनांक 9 अप्रैल 2007 में पारित प्रस्ताव एवं माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जिला नीमच की अध्यक्षता में आयोजित शासकीय भवनों के नामकरण राष्ट्रीय महापुरुषों के नामकरण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 8 नवम्बर 2012 में पारित निर्णय अनुसार जिला चिकित्सालय, नीमच का नामकरण “श्रीमति विजयाराजे सिंधिया जिला चिकित्सालय नीमच” किया जाता है. भविष्य में जिला चिकित्सालय, नीमच को समस्त कार्यो एवं बोलचाल हेतु “श्रीमति विजयाराजे सिंधिया जिला चिकित्सालय, नीमच” के नाम से जाना एवं संबोधित किया जावे.

विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 20 जून 2013

क्र. मण्डी-समिति गठन-2013-487.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 11 तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम, 2010 के नियम 5 के अनुसरण में, मैं, राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर, बैतूल, मध्यप्रदेश मण्डी अधिनियम की धारा 11(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कालम क्रमांक (2) में उल्लेखित मण्डी के लिए कालम क्रमांक (4) में उल्लेखित निर्म्मांकित नामांकित प्रतिनिधि सदस्यों को एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूँ:—

क्र.	कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम	संस्था का नाम	नामांकित प्रतिनिधि का नाम	प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	34-बैतूल	लोक सभा सदस्य का प्रतिनिधि	श्री राजेश कुमार वर्मा, प्रताप वाई टिकारी, बैतूल	मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(घ) अन्तर्गत
2		विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि	श्री रेवती प्रसाद सरले, मु. देवगांव, पो. खेड़ीसांवलीगढ़, तह. जिला बैतूल	मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(घ) अन्तर्गत
3		सहकारी विपणन सोसायटी प्रतिनिधि	श्री राजेन्द्र/टुकड़या, पापुलर विप. सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(ड) अन्तर्गत
4		कृषि विभाग का प्रतिनिधि	श्री पी. एस. किरार, उपसंचालक, कृषि बैतूल	मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(च) अन्तर्गत
5		जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि	श्री बसंत माकोड़े, अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., बैतूल.	मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(ज) अन्तर्गत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	34-बैतूल	जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि	श्री सदन कुमार आर्य, अध्यक्ष जिला सह. कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., बैतूल.	मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(झ) अन्तर्गत
7		पंचायत का प्रतिनिधि	श्री ईश्वरदास साबले, (सदस्य जि.पं.) मु.पो. खेड़लीबाजार, तह. आमला, जिला बैतूल.	मण्डी अधिनियम की धारा 11(1)(ज) अन्तर्गत

राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 22 जून 2013

क्र. 156-स्था.निर्वा.-मण्डी-2013.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति मोहगांव, जिला बालाघाट के लिए निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1	टेकलाल/ नेहरूलाल	कृषक सदस्य	ग्राम देवरी, पो. टिंगीपुर, तहसील बिरसा

बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

परिशिष्ट-इक्तीस

प्ररूप—25

[नियम 78(1) देखिये]

मण्डी समिति मोहगांव 199/06 पल्हेरा, जिला बालाघाट से कृषक सदस्य के निर्वाचन के लिए परिणाम की शीट

अनु. क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	मतदान केन्द्र में अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमाम्य मतों की संख्या												विधिमाम्य मतों का योग	
		मत.के. क्र. 59	मत.के. क्र. 60	मत.के. क्र. 61	मत.के. क्र. 62	मत.के. क्र. 63	मत.के. क्र. 64	मत.के. क्र. 65	मत.के. क्र. 66	मत.के. क्र. 67	मत.के. क्र. 68	मत.के. क्र. 69	मत.के. क्र. 70		मत.के. क्र. 71
(1)	(2)	(3)												(4)	
1	गुहदड़/ चिरूलाल	38	4	9	49	100	12	37	14	63	13	11	19	39	408
2	टेकलाल	58	13	45	31	53	258	76	112	83	274	149	81	63	1296
योग . .		96	17	54	80	153	270	113	126	146	287	160	100	102	1704

(क) विधिमाम्य मतों की कुल संख्या 1704

(ख) अविधिमाम्य मतों की कुल संख्या 20

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या 1724

मैं, यह घोषित करता हूँ कि —

(नाम) टेकलाल/ नेहरूलाल

(पता) ग्राम देवरी, पो. टिंगीपुर, तह. बिरसा, जिला बालाघाट

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/ गई हैं.

स्थान : तहसील कार्या, बिरसा

तारीख 16-6-2013, दिन रविवार

हस्ता./-
रिटर्निंग अधिकारी
मण्डी निर्वाचन मोहगांव

परिशिष्ट-तैतीस

प्ररूप—28
(नियम 80 देखिये)

निर्वाचन का प्रमाण-पत्र

मण्डी समिति मोहगांव जिला बालाघाट के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 199/06 पल्हेरा से कृषक सदस्य का निर्वाचन

मण्डी समिति * जिला * के व्यापारी सदस्य का निर्वाचन

मण्डी समिति * जिला * के तुलैया तथा हम्माल सदस्य का निर्वाचन

मध्यप्रदेश कृषि—उपज (मण्डी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 के नियम 80 के उपबंध के अनुसार में, मैं आर. एन. खरे, रिटर्निंग आफिसर यह घोषित करता हूँ कि—

श्री/कुमारी/श्रीमती टेकलाल पिता/पति का नाम नेहरूलाल, पता ग्राम देवरी, पो. टिंगीपुर, तह. बिरसा जो उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यार्थी था/थी. मण्डी समिति मोहगांव के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया/की गई है और उसके प्रमाणस्वरूप उन्हें निर्वाचन का यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है.

स्थान—तहसील कार्यालय, बिरसा

तारीख—17-6-2013

हस्ता./-
(आर. एन. खरे)
रिटर्निंग अधिकारी (मण्डी) समिति, मोहगांव

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 14 जून 2013

क्र. 125-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1994 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राज्य से उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं.:-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	रीवा धोबिया टंकी मेडिकल कालेज के पास.	3785/2 900 वर्गफुट 92.09 वर्ग मी.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स क्रमांक-1, रीवा.	चिकित्सा महाविद्यालय एवं संजय गांधी अस्पताल के लिए.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 126-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	चरैया	5.600 हेक्टेयर कृषक भूमि.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रीवा (म. प्र.).	जुडा बांध योजना

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—जूडा बांध योजना.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 19 जून 2013

क्र. 131-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	भेलौड़ी- 425	1.710	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग रीवा सेतु (म. प्र.)	बीरखाम-बघरा मार्ग के कि.मी. 3/10 पर टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) बीरखाम-बघरा मार्ग के कि.मी. 3/10 पर टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 17 जून 2013

क्र. 7672-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	कुल ख. नं. कुल रकबा (हेक्टर में)	(5)	(6)
सागर	मालधौन	मडावनमार	2 0.22	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सागर संभाग, सागर.	रजौवा नोनियामार्ग

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अ.वि.अ. राजस्व खुरई में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 18 जून 2013

भू-अर्जन-प्र. क्र. 21-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	देशगांव	9.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.	नावली तालाब योजना के बांध एवं डूब निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 18 जून 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	कैलवारा कला प.ह.नं. 33, नं.बं. 73.	ख. नं. 934 पर बने कुआं बोर.	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्र. 1, कटनी.	बरगी व्यपवर्तन परियोजना की भैंसवाही वितरण नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 18 जून 2013

क्र. 460-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
खरगोन	झिरन्या	कुसुम्बिया	2.305	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	करेली नाला तालाब योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिल्पा गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 21 जून 2013

क्र. 6116-17-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
राजगढ़	राजगढ़	मगरियादेह	0.543	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	मूण्डला तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित आबादी का भू-अर्जन.
राजगढ़	राजगढ़	लीलबे	0.686		
राजगढ़	राजगढ़	खरना	0.239		
राजगढ़	राजगढ़	सुल्तानपुरा	0.601		
योग . .			2.069		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 जून 2013

क्र. 1341-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	पड़खुरी कोठार	0.106	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की पड़खुरी कोठार की भमरहा टोला सबमाइनर क्र. 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1343-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	बुढ़गौना	0.207	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के शिकारगंज वितरक नहर क्र. 1 के अंतर्गत बुढ़गौना माइनर नं. 1 की सब- माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1345-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	पड़खुरी पवाई	0.019	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की पड़खुरी पवाई की मल्हैयान टोला सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1347-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	पड़खुरी पवाई	0.032	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर प्रणाली की पड़खुरी पवाई की तिवरियान टोला सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1349-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	झाला	0.20	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	रामपुर वितरक नहर की झाला सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1351-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	मवई	0.030	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर सिहावल परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1371-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	हरदी	0.030	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास सं. क्र. 2 मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के मुख्य नहर अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 22 जून 2013

पत्र क्रमांक-1379-प्रका.-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	खाम्बा कोठार	1.920	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

क्र. 1381-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	कटरा	1.500	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

क्र. 1383-प्रका. भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	बांसपट्टी	1.530	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

पत्र क्रमांक-1385-प्रका.-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	कैथा	1.500	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

क्र. 1387-प्रका.-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	परसधा कला	0.900	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

पत्र क्रमांक-1389-प्रका.-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	रजहा	3.310	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

पत्र क्रमांक-1391-प्रका.-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	होतीपुरवा	2.250	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र.-1, रीवा मुख्यालय त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 27 मई 2013

क्र. क-भू.अ.वि.अ.-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुका	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	दमोह	हथना प.ह.नं. 27 रा.नि.मं. हिरदेपुर (निजी भूमि)	3.779	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह.	हथना जलाशय के अतिरिक्त कमाण्ड विस्तार योजना अंतर्गत बांयी एवं दायी तट नहर अतिरिक्त निर्माण हेतु अर्जन बाबत्.

योग . . 3.779

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दमोह, कार्यालय यंत्री, जलसंसाधन विभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह दिनांक 22 जून 2013

क्र. क-भू.अ.वि.अ.-2012-13-609.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	दमोह	देवरी जमादार	0.516	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह.	कालापानी जलाशय की मुख्य नहर के निर्माण किये जाने बाबत्
			योग . .		
			0.516		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह कार्यापालन यंत्री जलसंसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 22 जून 2013

क्र. -30-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	चीनौर	उर्वा	0.454	कार्यपालन यंत्री, हस्सी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 1 डबरा जिला ग्वालियर.	हस्सी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.
			0.454		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

संशोधित उद्घोषणा

रीवा, दिनांक 19 जून 2013

क्र. 127-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा (6) के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—डाढ़
(घ) रकबा —0.220 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
54/2	0.220
योग.	0.220

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सेमरिया-मानिकपुर मार्ग में सेमरिया बाई पास निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

संशोधित उद्घोषणा

क्र. 128-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—सेमरिया

(घ) रकबा—0.173 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
323/3/1	0.014
323/3/2	0.013
323/3/3	0.013
323/4	0.028
323/6	0.105
योग.	0.173

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सेमरिया-मानिकपुर मार्ग में सेमरिया बाई पास निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 21 जून 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-12-13-1540.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्यौंदा
(ग) ग्राम—त्यौंदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.107 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
106/1	0.107
107	
योग.	0.107

	(1)	(2)	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरू मध्यम जलाशय की बांयी तट की मुख्य नहर के निर्माण हेतु शेष रही भूमि का अधिग्रहण.	177	0.048	—
	178	0.072	—
(3) भूमि का नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.	176	0.064	—
	187	0.218	—
	189	0.274	—
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	190	0.004	—
आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	267	0.080	—
	268	0.004	—
	269	0.004	—
कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि,	266	0.032	—
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं	21	0.265	0.032
पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	264	0.020	—
रीवा, दिनांक 17 जून 2013	263	0.040	—
	262	0.078	—
क्र. 1295-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस	219	0.125	—
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में	218	0.113	—
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक	221	0.190	—
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894	229	0.088	—
(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा,	230	0.016	—
घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि के	240	0.226	—
अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	239	0.008	—
	231	0.004	—
अनुसूची	232	0.008	—
(1) भूमि का वर्णन—	243	0.176	—
(क) जिला—रीवा	248	0.012	—
(ख) तहसील—सिरमौर	249	0.149	—
(ग) ग्राम—मझियार	464	0.008	—
(घ) क्षेत्रफल—2.538 हेक्टर.	463	0.160	—
खसरा अर्जित रकबा	472	0.033	—
क्रमांक अशासकीय भूमि (हे.में.) शासकीय भूमि (हे.में.)		योग . . . 2.538	0.032
(1)	(2)	कुल अर्जित रकबा (अशासकीय)	2.538
107	0.060	—	
108	0.020	—	
113	0.020	—	
118	0.016	—	
114	0.008	—	
115	0.036	—	
117	0.068	—	
133	0.028	—	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			

रीवा, दिनांक 21 जून 2013

क्र. 1353-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—माजन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.385 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
353	3.837	0.350
354	0.450	0.090
355/1	0.854	
355/2	0.754	0.630
355/3	0.654	
356	1.214	0.190
357	0.024	0.015
351/1	1.242	0.185
351/2	1.239	
341	1.177	0.085
349	0.146	0.045
342		0.305
344	0.539	0.195
345	0.077	0.040
346	1.137	0.255
		योग : 2.385

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गुढ़, मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1355-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—सौंठा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.776 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
697	0.963	0.346
696	0.125	0.072
695	0.125	0.019
692	0.466	0.126
723	0.263	0.026
725	0.494	0.186
726	0.579	0.024
727	0.089	0.042
728	0.024	0.024
730/1	0.061	
730/2	0.121	0.004
730/3	0.138	
733/1	0.026	
733/2	0.272	
733/3	0.073	0.310
733/4	0.008	
732/1	0.021	
732/2	0.395	0.128
732/3	0.040	
732/4	0.040	
731/1	0.037	0.016
731/2	0.036	
736	0.109	0.109
738	0.077	0.077
739	0.113	0.100
755	0.178	0.026
756	0.081	0.065
757	0.028	0.028
758	0.077	0.048

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
789/1	0.176	0.152	302	2.298	0.765
789/2	0.176		303	0.089	0.036
794/1	0.020	0.020	314	1.639	0.362
794/2	0.037	0.037	316	0.393	0.182
795	0.093	0.010	317	1.088	0.156
796	0.352	0.080	320	0.073	0.043
793	0.024	0.003	321	0.510	0.122
797	0.348	0.178	327	0.332	0.002
798	0.287	0.003	328	0.028	0.005
806		0.150	329	0.466	0.186
805/1	0.271	0.095	73	0.352	0.040
805/2	0.065		74	0.652	0.176
820	0.101	0.028	75	0.101	0.023
841	0.947	0.122	61/1	0.163	0.029
824	0.190	0.032	61/2	0.157	
821	0.162	0.090	62/1	0.259	0.274
योग : 2.776			62/2	0.129	
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़, मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.		62/3	0.130	0.043
			64	0.243	
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		66/1	0.024	0.007
			66/2	0.024	0.370
			67	0.999	
			38		0.042
			25	0.162	0.070
			29		0.434
			16	0.283	0.068
			17	0.077	0.070
			13	0.595	0.166
			146	0.4.490	0.290
			कुल योग : 3.979		

क्र. 1357-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—मनगंवा
 (ग) ग्राम—ढांढर
 (घ) क्षेत्रफल लगभग —3.979 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
301	0.158	0.018

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की तिवरिगंवा वितरक नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1359-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—बरिगंवा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.376 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
9	1.991	0.135
20	0.121	0.121
21	1.444	0.437
18	1.226	0.325
25	0.186	0.144
26	0.328	0.184
27	0.186	0.108
28	0.057	0.040
29	0.516	0.170
30	1.036	0.016
124	0.251	0.090
125	0.291	0.140
126	0.040	0.040
127	1.157	0.380
129	0.405	0.110
146	0.972	0.488
149	2.387	0.448

कुल योग : 3.376

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1361-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—चौडियार
(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.313 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
152	0.393	0.012
153	0.283	0.130
154	0.231	0.060
148	0.162	0.025
149	0.085	0.005
150	0.089	0.003
147	0.081	0.017
146	0.109	0.026
145	0.085	0.014
144	0.194	0.080
121	0.190	0.080
122/1	0.251	
122/2	0.251	0.114
122/3	0.251	
123/1	0.060	0.040
123/2	0.061	
124	0.016	0.016
125	0.283	0.140
126	0.441	0.194
127/1	0.194	0.037
127/2	0.061	
128	0.356	0.200
129	0.040	0.010
130/1	0.081	0.020
130/2	0.061	
115/1	0.453	0.018
115/2	0.459	
103/1	0.943	0.384
103/2	0.405	
104	0.712	0.080
106/1	0.461	
106/2	0.461	0.360

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
120/1	0.720	0.260	1149/1	0.213	
120/2	0.360		1149/2	0.213	0.225
	कुल योग : 2.313		1149/3	0.105	
			1149/4	0.105	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसंपत्तियों का अर्जन.			1150/1	0.243	0.260
			1150/2	0.235	
			1151/1	0.101	0.40
			1151/2	0.105	
			1151/3	0.053	
(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			1151/4	0.053	
			1040	2.084	0.240
			1041	0.028	0.028
			1043/1	0.769	0.330
			1043/2	0.769	
क्र. 1363-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			1046/1	1.011	0.500
			1046/2	0.984	
			1047/1	0.251	
			1047/2	0.167	
			1047/3	0.167	0.050
			1047/4	0.086	
			1047/5	0.081	
			1037	18.728	1.200
			1038	0.210	0.110
			कुल योग : 4.588		
(1) भूमि का वर्णन—			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.		
(क) जिला—रीवा			(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान					
(ग) ग्राम—कुइया 93					
(घ) क्षेत्रफल लगभग—4.588 हेक्टेयर.					
खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)			
1258	0.854	0.240			
1251	0.987	0.250			
1249/1	0.172	0.200			
1249/2	0.172				
1239	0.045	0.003			
1241	0.384	0.052			
1243	1.635	0.220			
1244	0.526	0.400			
1146	0.648	0.030			
1147/1	0.281	0.100			
1147/2	0.417				
1148/1	0.101				
1148/2	0.174	0.110			
1148/3	0.032				
			अनुसूची		
			(1) भूमि का वर्णन—		
			(क) जिला—रीवा		
			(ख) तहसील—गुढ़		

- (ग) ग्राम—गेरूआरी 169
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.711 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
239	0.320	0.042
238/1	0.717	0.102
238/2	0.238	
237	0.065	0.065
236	0.065	0.065
234	0.081	0.034
235	0.081	0.060
232/1	0.061	0.008
232/2	0.060	
229	0.644	0.212
228	0.640	0.228
227/1	0.182	0.066
227/2	0.182	
254/1	0.170	
254/2	0.069	0.130
254/3	0.105	
255	0.926	0.305
256	0.854	0.250
264	0.202	0.125
262	0.105	0.024
265/1	0.457	0.063
265/2	0.453	
266	0.186	0.136
261	0.129	0.030
267	0.454	0.027
268	0.020	0.020
269	0.214	0.034
260/1	0.291	0.186
260/2	0.077	
270	0.028	0.028
271	0.263	0.160
272	0.287	0.026
214/1	0.279	0.135
214/2	0.275	

कुल योग : 2.711

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरो की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों की अर्जन.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1367-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—गुढ़वा
(घ) क्षेत्रफल लगभग —7.781 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
221	0.142	0.100
223	0.073	0.070
202	0.061	0.030
203	0.356	0.225
205	0.053	0.015
192/1	0.506	
192/2	0.506	
192/3	0.405	0.490
192/4	0.101	
194/1	0.408	0.395
194/2	0.409	
195	0.198	0.045
196/1	0.024	0.045
196/2	0.101	
197	0.024	0.024
198	0.170	0.035
199	0.146	0.038
390	0.170	0.017
728	1.939	0.196
705	0.061	0.030
745	0.154	0.120
746	0.150	0.100

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
747	0.129	0.129	233	0.101	0.0.090
749	0.024	0.020	236	0.793	0.140
750	0.279	0.180	237	0.738	0.650
751	0.280	0.130	250/1	0.222	
755	0.081	0.055	250/2	0.072	0.090
756/1	0.020		250/3	0.075	
756/2	0.080		250/4	0.071	
756/3	0.015	0.080	251/1	0.200	
756/4	0.014		251/2	0.057	0.240
761	1.177	0.330	251/3	0.072	
762	0.506	0.170	251/4	0.072	
763	0.348	0.180	253/1	0.305	0.080
627	5.508	0.190	253/2	0.306	
680	0.166	0.020	254/1	0.261	0.090
681	0.093	0.093	254/2	0.261	
707/1	0.304		764	-	0.020
707/2	0.203	0.320	765	-	0.0280
707/3	0.339		655	-	0.010
707/4	0.344		257	-	0.025
682/1	0.140		255	-	0.048
682/2	0.140	0.240			
682/3	0.144				
682/4	0.140				
683	1.329	0.140			
673/1	0.102				
673/2	0.093	0.230			
673/3	0.040				
675/1	0.405				
675/2	0.016	0.230			
675/3	0.012				
674	0.227	0.110			
656/1	0.178	0.220			
656/2	0.178				
657	0.065	0.020			
129	0.101	0.090			
130	0.202	0.060			
134	1.173	0.190			
135	0.069	0.069			
136/1	0.351	0.180			
136/2	0.347				
226	0.073	0.040			
227	0.219	0.219			
228	0.223	0.170			
232	0.020	0.010			

कुल योग : 7.781

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरो की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों की अर्जन.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1369-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—भीटा			(1)	(2)	(3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.250 हेक्टेयर.			596	0.162	0.010
खसरा	कुल रकबा	अर्जित रकबा	597/1	0.174	0.170
नं.	(हेक्टेयर में)	(हेक्टेयर में)	597/2	0.089	
(1)	(2)	(3)	599	0.688	0.200
253	1.789	0.720	600	0.061	0.061
252	0.481	0.150	601	0.097	0.060
251	0.223	0.010	602	0.032	0.032
245	0.676	0.280	603	0.049	0.049
246	0.028	0.028	604	0.218	0.010
247	0.599	0.110	586	0.182	0.050
234	0.170	0.020	587	0.081	0.081
233	0.097	0.097	588	0.040	0.020
232	0.214	0.090	589	0.4586	0.300
231/1	0.147	0.200	575	0.162	0.070
231/2	0.282		576	0.162	0.070
230	0.146	0.090	571	0.243	0.130
276	0.049	0.040	577	0.036	0.036
277	0.405	0.170	578	0.036	0.036
278/1	0.167		579/1	0.032	
278/2	0.195	0.150	579/2	0.028	0.070
278/3	0.166		579/3	0.069	
281	0.409	0.200	566	0.273	0.050
282	0.049	0.010	565	0.073	0.073
280	0.534	0.180	564	0.061	0.030
290/1	0.162		572	0.413	0.010
290/2	0.045	0.040	474/1	0.186	0.280
290/3	0.044		474/2	0.186	
285	0.987	0.270	475/1	0.105	0.105
286	0.012	0.012	475/2	0.101	0.101
284	0.125	0.020	482	0.163	0.163
288	0.040	0.030	481/1	0.329	0.230
331	0.040	0.030	481/2	0.329	
326/1	0.065	0.140	479/1	0.045	0.010
326/2	0.275		479/2	0.044	
327/1	0.139	0.020	480	0.053	0.030
327/2	0.140		496/1	0.024	0.024
332	0.045	0.010	496/2	0.024	0.024
328	0.045	0.020	497	0.012	0.012
329	0.109	0.060	498	0.053	0.053
330	0.121	0.121	499	0.53	0.053
621	0.510	0.040	500	0.012	0.012
620	0.239	0.010	501	0.012	0.012
595/1	0.121	0.140	502	0.109	0.010
595/2	0.117		507/1	0.809	0.500

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
507/2	0.202	-	201	0.220
517/1	0.045	0.210	202	0.083
517/2	0.405		204	0.173
516	0.045	0.040	205	0.180
515/1	0.065	0.065	206	0.004
515/2	0.020	0.020	419	0.147
545	2.399	0.170	420/1	0.070
कुल योग : 7.250			420/2	0.072
			421	0.109
			योग .	1.826

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गुढ़ मरुगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरो की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 22 जून 2013

पत्र क्र. 1373-प्रका-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योथर
(ग) ग्राम—बुदामा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.826 हे.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
177	0.108
179	0.128
180	0.120
182	0.136
189	0.218
199	0.058

पत्र क्र. 1375-प्रका-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योथर
(ग) ग्राम—डीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.433 हे.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
460	0.043
461	0.055
462	0.048
463	0.024
464	0.073
465	0.016
466	0.045
467	0.064
468	0.086

(1)	(2)	(1)	(2)
621	0.109	911	0.052
636	0.064	912	0.006
638	0.005	913	0.035
639	0.039	914	0.032
655	0.034	923	0.064
656	0.037	924	0.038
657	0.038	926	0.010
658	0.018	951	0.060
626	0.064	954	0.032
667	0.064	955	0.109
669	0.064	956	0.004
670	0.034	990	0.021
682	0.122	951	0.062
683	0.058	992	0.004
684	0.084	993	0.039
685	0.022	994	0.030
686	0.017	995	0.030
687	0.024	1010	0.019
695	0.022	1011	0.016
696	0.026	1013	0.077
697	0.024	1014	0.058
706	0.040	1041	0.058
707	0.064	1062	0.025
717	0.054	1064	0.096
718	0.039	1118	0.115
719	0.096	1119	0.005
730	0.058	1120	0.072
732	0.128	1155	0.064
733	0.083	1156	0.096
735	0.074	1164	0.031
737	0.070	1167	0.005
738	0.077	1375	0.013
739	0.036	1376	0.004
740	0.020	1397	0.029
867	0.096	1399	0.039
870	0.032	1400	0.048
874	0.032	1401	0.042
875	0.032	1796	0.120
882	0.025		
883	0.064		योग . 4.433
884	0.030		
885	0.036		
887	0.008		
891	0.083		
900	0.022		
901	0.042		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1377-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा (6) के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योथर
(ग) ग्राम—रक्सवा कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.332 हे.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

114/3	0.071
187	0.015
188/1	0.074
188/2	0.047
189/1	0.064
209	0.017
253/1, 253/2	0.044
योग .	<u>0.332</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योथर उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 25 जून 2013

प्र. क्र. 03-ए-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील—सिलवानी
(ग) ग्राम—सेमराखास, जामनपानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—53.038 हे.

खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किया गया रकबा (3)
(1)	(2)	(3)

ग्राम—सेमराखास

8/2/1	0.211	0.211
8/3/1	0.757	0.757
6/2/1	0.279	0.279
8/2/2	0.117	0.117
8/3/2	0.478	0.478
6/2/2	0.405	0.405
78/1/2	0.016	0.016
8/2/3	0.049	0.049
8/3/3	0.741	0.741
6/2/3	0.364	0.364
8/4	1.428	1.428
8/6	0.983	0.983
8/5, 9/3	0.802	0.402
6/3, 13/2	0.441	0.441
89	0.121	0.121
13/3	0.04	0.04
49	0.129	0.129
41	0.057	0.057
9/6	0.89	0.49
60	1.55	1.55
290/59	0.971	0.971

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
48	0.04	0.04	43	0.214	0.214
68	0.267	0.267	45	0.045	0.045
70	0.093	0.093	76	0.121	0.121
108	0.259	0.259	78/1/1	0.02	0.02
110	0.101	0.101	112,113	1.558	1.558
289/59	0.646	0.646	117	0.7	0.7
50	0.547	0.547	52/2	0.057	0.057
56	1.251	1.251	78/1/3	0.016	0.016
57	0.154	0.154	120/4	0.024	0.024
58	1.773	1.773	125/5/1/1	0.13	0.13
44	0.069	0.069	120/5/2	0.263	0.263
59/2	2.023	2.023	78/2	0.056	0.056
55	1.967	1.967	35/1	1.619	0.619
53	0.943	0.943	94	1.238	0.338
39	0.445	0.445	100/1/1	0.769	0.769
66,67	1.113	1.113	100/1/2	1.3	1.3
320/109	0.024	0.024	100/2	1.619	1
51	0.737	0.737	ग्राम—जामनपानी		
46	0.206	0.206	35	0.737	0.737
106	0.251	0.251	88/1	0.216	0.216
107	0.344	0.344	90/2	0.999	0.5
54	0.065	0.065	90/1	1.214	0.5
63	1.141	1.141	88/2	0.254	0.254
64	0.275	0.275	221/89/1	0.777	0.303
82,83	0.032	0.032	221/89/2	0.097	0.097
87	0.032	0.032	21/10	1.861	1.861
90	0.138	0.138	21/11	1.861	1.861
114	0.283	0.283	21/9	1.861	0.605
52/1	0.06	0.06	21/8	1.861	1.365
73	0.101	0.101	21/1	2.000	0.832
120/3	0.045	0.045	21/2	2.000	0.831
71	0.052	0.052	21/3	2.000	0.760
80	0.295	0.295	21/4	2.000	1.262
116	0.874	0.874	21/5	1.827	0.720
74	0.085	0.085	21/6	1.470	0.662
77	0.012	0.012	21/7	1.251	0.661
115	0.647	0.647	कुल योग : 53.038		
118	0.394	0.394	<p>(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सेमरा खास सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र मुख्य नहर हेतु.</p>		
85	0.008	0.008			
88	0.036	0.036	<p>(3) टीप:—भूमि के नक्शे का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सिलवानी के कार्यालय में किया जा सकता है.</p>		
8/1/2/1/1	1.012	1.012			
8/1/2/2	1.011	1.011	<p>मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.</p>		
8/1/3	2.023	2.023			
42	0.089	0.089			

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 3 जून 2013

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 12-अ-82-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—लिधौरा
(ग) नगर/ग्राम—भदरई/उदयपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.510 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
801/2/1	0.060
801/3/1	0.070
801/4/2	0.010
799/3	0.340
799/16	0.080
799/13	0.180
799/1/अ	0.090
799/165	0.070
799/964	0.030
799/963	0.090
798	0.060
794	0.090
793	0.100
840	0.040
841	0.150
565	0.060

(1)

(2)

567/1/1

0.140

587

0.200

274

0.260

271/3

0.100

271/2

0.100

244

0.100

247

0.010

249

0.050

252

0.030

योग. . 2.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—कवाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 14-अ-82-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—लिधौरा
(ग) नगर/ग्राम—बारौन
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.880 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

62

0.040

(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
63	0.040	एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री,
64	0.010	जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के
36	0.120	कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
33	0.030	क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 15-अ-82-2012.—चूंकि, राज्य शासन
34	0.010	को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची
35	0.110	के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में
37	0.015	उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः
133/2/1ख	0.190	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984) की
133/1/1	0.130	धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि
133/2	0.050	उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—
134/8	0.070	अनुसूची
133	0.200	(1) भूमि का वर्णन—
32	0.060	(क) जिला—टीकमगढ़
177	0.050	(ख) तहसील—लिधौरा
179	0.050	(ग) नगर/ग्राम—बारी
176	0.050	(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.230 हे.
181	0.010	खसरा
180	0.150	नंबर
185	0.070	(1)
168/2	0.025	(2)
187	0.070	106/2
102/1/क	0.090	106/1/1
104/2	0.140	109
108	0.050	योग. . 0.060
107/2	0.050	योग. . <u>0.230</u>
योग. .	<u>1.880</u>	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता
		है—कवाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
		एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री,
		जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के
		कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
		पी. एल. सोलंकी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—कवाघाट तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 14 मार्च 2013

प्र. क्र. 1 अ-82-वर्ष 2012-13-पत्र क्रमांक 102/103-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—अजन्सरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.066 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
140/2ग	
141/4क	
142/3क	0.016
140/2घ	
141/4ग	
142/3ग	
137/1	
141/6	0.050

योग : 0.066

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घुघरोला-माईनर के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, नरसिंहपुर की भू-अर्जन शाखा के रू. क्र. 84 में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 7 जून 2013

क्र. 4083-जि.भू.अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) ग्राम—कंडीपार, ब नं. 396, प. ह. नं. 78/79
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.28

खसरा नम्बर अशासकीय	अर्जित रकबा भूमि
(1)	(2)
127/1	0.03
127/6	0.01
	योग . . . 0.04
127/2	0.07
127/4	0.10
90/3	0.07
	योग . . . 0.24
	महायोग . . . 0.28

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 3 जून 2013

क्र. 1224-भू-अर्जन-नहर-प्र.क्र. 47-अ-82-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—ठीकरी

(ग) ग्राम—दवाना

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.747 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने
वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

3/1	0.070
3/3	0.060
3/4	0.060
4/1	0.050
4/2	0.043
4/4	0.045
4/3	0.060
4/5	0.072
4/6	0.200
4/7	0.056
9, 8	0.243
19/1	0.080
238/10	0.070
246	0.547
248/1	0.010
248/2	0.230
248/3	0.250
252/1/1	0.250
252/1/2	0.262
252/2	0.035
252/4	0.400
254	0.194
255	0.154
256/1	0.350
256/2	0.358
257/1, 258/4	0.060
262/1	0.054
262/11	0.005

(1)

(2)

262/12	0.015
262/14	0.034
264/1/1	0.260
264/1/2/2	0.049
264/2	0.062
272	0.040
274	0.876
276/2	0.620
311/2	0.046
313/1/3	0.130
313/1/4	0.073
317/1	0.320
317/3	0.290
317/4/1	0.070
320/1/1	0.340
320/1/2	0.320
320/2	0.200
321/2	0.100
376/2	0.369
380/1, 401/1	0.088
380/2	0.057
388, 389	0.060
391/1	0.420
391/2	0.380
392/2	0.507
391/3	0.320
391/4	0.320
402	0.041
403	0.072
योग . .	<u>10.747</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना, नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

(ग) ग्राम—रणगाँव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.903 हेक्टर.

खसरा नंबर	अधिगृहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
20/1/2	0.004
20/5	0.405
21/1/2	0.251
21/2/2	0.316
77/1	0.415
77/5	0.410
78/1	0.304
130/1	0.202
131/1	0.245
132/1, 169/2/1	0.585
132/2	0.200
132/3	0.205
150	0.587
152	0.235
160/1	0.250
160/2	0.460
161, 162/1, 163, 164/2, 165/3	1.372
165/4	0.255
166/2/2	0.005
166/3	0.450
170	0.620
योग . .	<u>7.903</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 14, ठीकरी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 10 जून 2013

क्र. 1296-भू-अर्जन-2013-रा.प्र.क्र. 79-अ-82-2012-2013-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—अंजद

(ग) ग्राम—साकड़

(घ) क्षेत्रफल—12.827 हेक्टर.

खसरा नंबर	अतिरिक्त डूब की भूमि (हेक्टर में)
(1)	(2)
20/2, 22, 23/1	0.324
66/1	0.749
71/2	1.170
72/1	0.486
81/1	0.202
83	1.315
84/1	0.460
84/2	0.469
85/1	0.352
85/2	0.180
94/1	0.283
94/2	0.280
95/1	0.393
95/2	0.061
104/3	0.263
111/1, 133/6	0.397
111/2	1.676
133/2/2, 133/3, 133/4, 133/8	0.316
147/3, 148/4, 148/5	0.241
148/1, 148/3	1.511
148/2	0.081
149/2	0.048
151/1	0.376
168/1	0.506
168/2	0.688
योग . .	<u>12.827</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरिबड़ तालाब योजना हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय, बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजपुर, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुविभाग-राजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 14 जून 2013

क्र. 1328-भू-अर्जन-नहर-2013-प्र.क्र. 58-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—ठीकरी

(ग) ग्राम—बघाड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—29.622 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिगृहित किया जाने
वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(1)

(2)

18, 19/3, 24/9, 24/11 0.090

24/1/1/2 0.240

24/1/2, 24/2, 101/10 0.150

24/3, 24/5, 57, 58, | 0.620

69/2, 69/4, 109/3 |

59 0.688

60 0.125

62, 101/7, 109/1/2 0.850

64/1 0.020

94, 101/10 0.540

95 0.600

97, 101/1/3 0.050

98 0.040

101/1/4 0.050

101/1/11, 101/4 0.450

104/3 0.431

105/1 0.770

105/2 0.081

105/3 0.370

106 0.359

108/2 0.040

109/4 0.080

109/5 0.350

125/1/2 0.270

125/1/3 0.050

125/3 0.129

125/10 0.117

125/12 0.020

169/3 0.350

169/4 0.210

169/14, 209/2 0.060

(1)

(2)

169/15

0.060

169/16

0.060

169/17

0.030

169/18

0.050

195/2

0.160

195/3

0.190

195/4

0.300

196/1/1/1/3

0.200

196/5

0.150

203/1/2, 204

0.430

205/1

0.110

205/4

0.100

205/5

0.150

205/6

0.110

205/7

0.110

206/1

0.200

206/2

0.170

206/6

0.072

206/7

0.050

206/8

0.050

206/9

0.100

206/10

0.052

226/1

0.046

230/3, 232/1, 234/1/2

0.030

232/2

0.120

232/4

0.250

232/5

0.180

232/6, 233/2

0.190

232/7

0.238

232/8

0.320

232/9, 234/2/2, |

0.270

234/1/3, 238/1/2 |

232/10

0.410

232/12

0.170

233/637/2

0.050

233/637/3

0.410

234/1/1, 234/3, 239/2

0.660

238/1/3, 242, 243/3

0.980

239/1

0.030

241/1

0.350

241/5

0.020

241/6

0.470

244/4

0.030

245/1

0.440

(1)	(2)	(1)	(2)
245/2	0.050	348/6	0.030
246/2	0.180	348/7	0.130
250/2/1, 270/1	0.230	348/8	0.050
250/2/2, 270/2	0.220	348/9	0.050
259/2	0.175	348/10	0.040
259/3	0.180	348/11	0.030
259/4	0.005	351	0.126
261/2/1	0.150	352/1	0.048
262/2	0.050	352/2	0.048
262/3	0.108	367/1	0.180
265/4	0.124	367/3	0.217
265/5	0.075	368	0.010
265/6	0.040	369	0.025
265/15	0.060	371	0.026
265/16	0.110	372/6, 380/23	0.067
265/17	0.070	372/7, 380/24	0.067
265/18	0.030	380/1/2	0.250
265/20	0.010	380/2, 380/9	0.320
265/21	0.100	380/5, 402/2	0.202
265/26	0.140	380/10, 380/11, 380/16	0.218
265/28	0.020	380/17/2, 381/1	0.380
265/29, 347/3	0.160	380/25	0.067
271/5	0.110	381/5	0.010
271/6	0.190	381/6	0.090
271/7	0.190	382/1/2	0.020
271/8	0.190	382/2	0.090
271/9	0.270	382/7	0.061
279/18, 279/22	0.005	382/8	0.079
279/28	0.005	382/9	0.090
279/29	0.010	386/1	0.140
279/30	0.020	386/2	0.140
279/31	0.020	499/2, 499/3, 504	0.030
280/1	0.027	523	0.250
280/2	0.037	525	0.720
280/3	0.030	526/2	0.360
280/4	0.032	540/1	0.330
280/5	0.044	542/2	0.020
280/6	0.060	543/1	0.400
282/2	0.700	543/3	0.120
347/4	0.049	543/5	0.270
348/2	0.040	543/6	0.800
348/3	0.040	543/10	0.070
348/4	0.030	625/10	0.570
348/5	0.030	625/11	0.425

(1)	(2)
625/17	0.130
625/22	0.042
628/37	0.360
628/38	0.220
629/8	0.020
योग . .	<u>29.622</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की खजुरी वितरण शाखा एवं माईनर नहरों के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 18 जून 2013

प्र. क्र. 05-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—धन्नास
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.396 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
67	0.283
29/15, 33, 63, 64, 70/1	0.113
योग . .	<u>0.396</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दांयी मुख्य नहर की खरसानिया उपनहर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज/कार्यपालन यंत्री नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—रिछाड़िया कदीम
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.926

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24/1	0.016
32	0.065
33, 35/2, 222/35, 245/35/1/5/3	0.263
33, 35/2, 222/35, 245/35/1/3	0.162
33, 35/2, 222/35, 245/35/4/1	0.129
33, 35/2, 222/35, 245/35/1/5/2	0.324
33, 35/2, 222/35, 245/35/1/5/4	0.324
33, 35/2, 222/35, 245/35/4/2	0.332
33, 35/2, 222/35, 245/35/3/1	0.712
33, 35/2, 222/35, 245/35/1/4	0.316
35/1/1	0.283
योग . .	<u>2.926</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दांयी मुख्य नहर की खरसानिया उपनहर नहर की हाल्याखेड़ी माईनर के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज/कार्यपालन यंत्री नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—भीमगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.672 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
53, 55, 62/2/2/ख	0.072
58	0.129
59/1/1/क	0.161
106/58	0.121
59/2/1	0.024
59/1/1/ख/1/2	0.145
60/1	0.02
योग	0.672

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—दांयी मुख्य नहर की जोगला माईनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज/कार्यपालन यंत्री नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

श्योपुर, दिनांक 18 जून 2013

प्र. क्र. 09-2012-13-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—श्योपुर
(ख) तहसील—विजयपुर

- (ग) नगर/ग्राम—धोबिनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.630 हेक्टेयर

खसरा नंबर (1)	रकबा (हे. में) (2)
24/4/5	0.314
27	0.481
28	0.836
29	0.157
30	0.136
31	0.543
32 मि 1	0.512
32 मि 2	0.512
36/2 मि 1	0.372
36/2 मि 2	0.012
36/3	0.733
36/4	0.416
38/1 मि 1	1.045
38/1	0.418
38/2	1.703
46	0.596
51	0.188
52	0.052
53	0.460
58	0.355
59	0.355
60	0.449
61	0.031
64	0.627
65	0.108
73/1	0.100
73/2	0.050
74	1.139
75	0.721
76/1	0.636
76/2	0.748
77/1	0.523
77/2	0.408
79	0.010
81	0.585
82	0.293
83	0.303
84	0.376
85	0.219
86	0.167
87	0.418
94	0.366
95	0.355
98	0.178
99	0.324
100	0.293

(1)	(2)	कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग																		
101	0.209	छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 जून 2013 क्र. 6477-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के उपयोग के लिए आवश्यकता है :— अनुसूची (1) भूमि का वर्णन— (क) जिला—छिन्दवाड़ा (ख) तहसील—अमरवाड़ा (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-चिमउवा, प.ह.नं. 37, ब.नं. 88, रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा-2 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.123 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां. <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">प्रस्तावित खसरा नम्बर</th> <th style="text-align: center;">प्रस्तावित रकबा (हे. में)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">(1)</th> <th style="text-align: center;">(2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>132/2, 132/3</td> <td>0.020 मकान पक्का-01</td> </tr> <tr> <td>128/1, 128/2</td> <td>0.017 मकान कच्चा-01</td> </tr> <tr> <td>165/1</td> <td>0.016 मकान कच्चा-01</td> </tr> <tr> <td>129/2</td> <td>0.016 मकान कच्चा-01</td> </tr> <tr> <td>169/1</td> <td>0.034 मकान कच्चा-03</td> </tr> <tr> <td>72/1, 72/3, 73/2</td> <td>0.020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">योग . . .</td> <td>0.123 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.</td> </tr> </tbody> </table>	प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)	(1)	(2)	132/2, 132/3	0.020 मकान पक्का-01	128/1, 128/2	0.017 मकान कच्चा-01	165/1	0.016 मकान कच्चा-01	129/2	0.016 मकान कच्चा-01	169/1	0.034 मकान कच्चा-03	72/1, 72/3, 73/2	0.020	योग . . .	0.123 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)																			
(1)	(2)																			
132/2, 132/3	0.020 मकान पक्का-01																			
128/1, 128/2	0.017 मकान कच्चा-01																			
165/1	0.016 मकान कच्चा-01																			
129/2	0.016 मकान कच्चा-01																			
169/1	0.034 मकान कच्चा-03																			
72/1, 72/3, 73/2	0.020																			
योग . . .	0.123 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.																			
102	0.010																			
104	0.230																			
105	0.272																			
106	0.293																			
107	0.105																			
108	0.010																			
110	0.010																			
122	0.010																			
124	0.073																			
136	0.021																			
141	0.010																			
165	0.031																			
174	0.021																			
180	0.032																			
212	0.010																			
219	0.042																			
223/2 मि 1	0.219																			
230	0.010																			
231	0.010																			
238	0.010																			
243	0.010																			
252	0.021																			
263	0.010																			
266	0.031																			
283/2	0.010																			
283/3	0.010																			
283/4	0.010																			
285/1	0.209																			
303/2	0.010																			
311	0.010																			
319	0.084																			
380	0.658																			
403/ मि 2	0.001																			
472	0.031																			
498	0.010																			
515	0.254																			
योग . . .	<u>22.630</u>																			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—अपर ककेटो बांध परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रिछननाला जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग, अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 6478-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के उपयोग के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-तेंदनी रैय्यत प.ह.नं. 39,
ब.नं. 1/23,
रा.नि.मंडल-अमरवाड़ा-2
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.447 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
5	0.215
7/1	0.350
9/4	0.360
10/1	0.080
10/17	0.019
10/16	0.080
10/11	0.019
10/14	0.030
39/3	0.140
10/15	0.061
11/1	0.093

योग . . 01.447 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रिछननाला जलाशय के लिये रोड निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 6479-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के उपयोग के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—हरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-अमारी प.ह.नं. 20,
ब.नं. 02,
रा.नि.मंडल-हरई
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.108 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
125/1	0.108

योग . . 0.108 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भेड़ा जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग, अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 6480-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-हतोड़ा, प.ह.नं. 20,
ब.नं. 301,
रा.नि.मंडल-चौरई

- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.209 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
202/1	0.209

योग . . 0.209 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तहसील चौरई, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर, उपसंभाग क्रमांक 3 तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 6481-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—चौरई
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-चन्दनवाड़ा, प.ह.नं. 35,
ब.नं. 78,
रा.नि.मंडल-चौरई

- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.160 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
128/4	0.160

योग . . 0.160 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट मुख्य नहर की टनल निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील चौरई, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 3 तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 27 मई 2013

क्र. 01-अ-82-2012-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—पनागर
(ग) ग्राम—मोहास (बंदो. नं. 384, प. ह. नं. 20/70)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.324 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	0.05
3	0.04
5	0.03
44/1	0.11
48/229	0.004
48/227	0.01
48/228	0.01
48/230	0.01
6/1	0.06
योग . .	<u>0.324</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बेलखाडू-सरोद मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 02-अ-82-2012-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—पनागर
(ग) ग्राम—बघोड़ी (बंदो. नं. 303, प. ह. नं. 20/70)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.54 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
14/1	0.17
14/3	0.09
16/1	0.11
12/1	0.17
योग . .	<u>0.54</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बेलखाडू-सरोद मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 03-अ-82-2012-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—पनागर

(ग) ग्राम—झगरा (बंदो. नं. प. ह. नं. 20/69)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.462 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
279/1	0.07
279/2	0.01
281	0.03
282/1	0.03
282/2	0.03
282/3	0.03
283	0.04
284	0.02
285	0.07
287/1	0.06
289	0.02
290/1	0.02
291	0.01
292/1	0.002
292/3	0.02
योग . .	<u>0.462</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बेलखाडू-सरोद मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, जबलपुर एवं म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 10 जून 2013

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—बेरखेड़ी, किरार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.010 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

ग्राम-बेरखेड़ी किरार

195/1क	0.040
195/1ख	0.050
173/3	0.100
205/1	0.130
205/2	0.040
205/3	0.030
210/4	0.090
206/1	0.040
210/1/क/1	0.180
210/1/क/2	0.040
210/2	0.040
206/2/1	0.030
206/2/2	0.030
206/3	0.040
206/2/3	0.040
195/2 क	0.050
195/2 ख	0.060
195/3	0.070
211/2	
211/3ख	0.125
211/2ख	
211/1ख	0.210
213/1	0.160
214	0.270
217	0.210
216	0.040
218/1	0.170
207/3	0.100
207/4	0.090
207/2	0.090
207/1	0.080

प्र. क्र. 16-ए-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक

(1)	(2)
208/1	0.180
208/2	0.180
204	0.005
योग . .	<u>3.010</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है— सपन उद्वहन सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, शमशाबाद के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 10 जून 2013

क्र. 287-रीडर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—जोबट
(ग) नगर/ग्राम—उम्दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.34 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)
1262/2	1.34	1. प्रस्तावित भूमि पर कोई मंदिर, मस्जिद आदि सार्वजनिक स्थल नहीं है.
योग . .	<u>1.34</u>	2. प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक निस्तार के उपयोग में नहीं लाई जा रही है.

(1) (2) (3)

3. प्रस्तावित भूमि पर फलदार वृक्ष स्थित नहीं हैं.
4. भूमि का भू-अर्जन करने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—जोबट परियोजना की बांध से डूब प्रभावित होने से.
(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 16, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 14 जून 2013

प्र. क्र. 06-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—कछौआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.774 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
01 मिन	1.222	0.250
01 मिन	1.222	
03 मिन	1.192	0.448
03 मिन	0.417	
03 मिन	0.836	0.262
04 मिन	1.003	
04 मिन	0.585	
04 मिन	0.542	

(1)	(2)	(3)	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाधीश जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है।
09	1.097	0.005	
11	12.492	0.630	
12 मिन	0.036		ग्वालियर, दिनांक 22 जून 2013
12 मिन	0.836	0.40	प्र. क्र. 16-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—
12 मिन	0.542		
13 मिन	0.752	0.02	
19 मिन	0.62		
19 मिन	0.62	0.346	
19 मिन	0.62		
14	1.045	0.18	
18	0.523	0.147	
17 मिन	1.730		अनुसूची
17 मिन	1.730	0.062	(1) भूमि का वर्णन—
17 मिन	1.730		(क) जिला—ग्वालियर
17 मिन	1.730		(ख) तहसील—चीनौर
15	2.038	0.114	(ग) ग्राम—दुबही
16 मिन	0.230		(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.60 हेक्टेयर.
16 मिन	0.230	0.146	
16 मिन	0.230		सर्वे कुल रकबा अर्जित किये जाने
95/2 मिन	0.345	0.06	नम्बर (हेक्टर में) वाला अनुमानित
95/3 मिन	0.345	0.10	रकबा (हेक्टर में)
95/7 मिन	0.334	0.05	(1) (2) (3)
96	0.804	0.295	742 1.60 0.06
97	0.209	0.035	817 0.39 0.37
98	1.014	0.16	819/1047 0.28 0.20
92	1.686	0.200	803 0.43 0.39
91	0.533	0.11	812 0.47 0.10
106	1.903	0.005	807 0.71 0.33
107	3.428	0.015	809 0.86 0.12
90	5.008	0.390	808 1.14 0.28
75	6.658	0.41	811 0.57 0.16
118	5.905	0.45	802 0.41 0.02
120 मिन	1.030	0.246	794 0.36 0.08
120 मिन	1.029		816 1.16 0.06
119	0.930	0.266	743 0.56 0.15
143 मिन	0.449		746 0.65 0.13
143 मिन	0.449	0.182	748 0.49 0.37
143 मिन	0.450		753 1.72 0.17
146	14.178	0.79	795 0.74 0.36
		योग : 6.774	794/1039 0.35 0.25
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य हेतु.			747 0.55 0.22
			745 0.33 0.03
			801 0.13 0.08
			804 0.28 0.20

(1)	(2)	(3)
861	1.46	0.18
873	0.18	0.05
874	0.58	0.30
859	0.35	0.12
870	0.44	0.32
871	0.67	0.14
854	0.63	0.53
855	2.30	0.25
853	0.42	0.21
860	1.10	0.52
880	1.15	0.02
851	0.41	0.03
879	0.49	0.47
872	0.47	0.45
712	0.59	0.32
711/1040	0.41	0.26
713	1.40	0.48
724	0.63	0.42
710	0.84	0.23
707	0.80	0.08
708	0.58	0.26
722	0.93	0.06
723	0.87	0.73
733	0.48	0.08
725	1.90	0.23
709	0.65	0.40
752	0.43	0.35
751	0.62	0.14
749	0.44	0.11
750	0.95	0.30
731	0.30	0.08
732	0.35	0.32
734	0.37	0.03

योग : 12.60

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाधीश, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 18 जून 2013

प्र. क्र. 4-अ-82 वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि सम्पत्ति की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—बटियागढ़
(ग) नगर/ग्राम—बटियागढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.12 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
746 में से	0.12

योग . . 0.12

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—शेखपुरा जलाशय एवं नहर में आने वाली भूमि के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड, हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह, जिला दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

दमोह, दिनांक 22 जून 2013

क्र. क-भू-अ. वि. अ.- 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)

में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—दमोह
(ग) नगर/ग्राम—बेरखेड़ी, खोजाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.78 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

ग्राम बेरखेड़ी

45/4	0.30
216/2	0.14
216/3	0.12
योग . .	0.56

ग्राम खोजाखेड़ी

677	0.16
730/1	0.06
योग . .	0.22
कुल योग . .	0.78

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बी. ओ. टी. (टोल+एन्जूटी) योजनान्तर्गत दमोह-पथरिया-गढ़ाकोटा मार्ग के निर्माण किये जाने बाबत के कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) दमोह संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि., सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 25 जून 2013

क्र. -भू-अर्जन-04 (अ-82)2010-11.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—नारायणगंज
(ग) ग्राम—चुटका प. ह. नं. 23, टाटीघाट प. ह. नं. 23, कुंडा प. ह. नं. 22, एवं मानेगांव प. ह. नं. 24, (लगभग क्षेत्रफल 288.55 हे. एवं उस भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियाँ/वृक्ष).
(घ) लगभग क्षेत्रफल—288.55 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

ग्राम चुटका

1/1	1.30
1/2	1.30
2	0.15
4/1	1.82
4/2	0.40
6	2.40
7	0.31
8/1	1.09
8/2	0.05
9	0.90
10	0.64
12	0.36
13	0.48
15	0.48
16	0.33
17	0.64
18	0.64
19	0.57
20/1	0.80
20/2	0.61
21	0.10
22	1.23
24	1.47

(1)	(2)	(1)	(2)
25/1	0.20	67	0.83
25/2	0.18	69	0.28
26	1.42	71	0.30
27	0.68	72/1	0.63
28	0.70	72/2	0.31
30	0.36	72/3	0.31
31	0.70	73	0.45
33	1.20	74	0.57
34	0.28	75	0.46
35/1	0.37	76	1.03
35/2	0.37	77	0.57
37	0.56	78	0.27
38	0.82	80	0.34
39	0.95	81	0.27
40	1.10	83	0.09
41	1.05	84	0.37
43	1.56	85	1.04
44/1	0.09	86	0.33
44/2	0.09	87	0.14
45/1	0.51	88	0.40
45/2	0.53	91	0.31
45/3	0.17	92	0.24
46	1.41	94	0.22
47/1	0.54	95	0.16
47/2	0.55	96	0.28
48	0.18	98	0.08
49	1.58	99	0.66
50	0.60	100	0.85
51	2.58	101	0.52
56	2.73	102	0.19
57	0.42	103	0.49
58	0.54	104	0.13
59	0.21	105	0.52
61	0.40	106	0.54
62	1.47	107	0.64
63	0.21	108/1	0.18
65	1.10	108/2	0.18
66	0.68	109	0.07

(1)	(2)	(1)	(2)
110	0.02	148/1	0.32
112	0.28	148/2	0.32
114	0.95	148/3	0.32
115/1	0.35	148/4	0.32
115/2	0.35	148/5	5.00
116	0.08	148/6	1.30
117	0.03	148/7	2.03
118	0.17	148/8	0.73
119	0.07	148/9	0.28
120	0.27	149	0.69
121	0.21	150	0.41
122	0.19	151	0.19
123	0.41	152	0.41
124	0.05	153	0.34
125	0.31	154	0.45
126	0.12	155	0.75
127	0.20	157	2.20
128	0.12	158/1	0.19
129	0.24	158/2	0.19
131	0.12	158/3	0.20
132/1	0.46	159/1	0.19
132/2	0.45	159/2	0.18
133/1	0.34	160	0.82
133/2	0.34	162	1.40
134	0.35	164	0.71
135	0.33	165	1.57
136	0.88	167	0.69
137	1.66	169	0.26
138	0.46	170	0.28
139/1	1.30	171	0.32
139/2	0.52	172	0.10
140	0.22	173	0.99
143	1.36	174	0.32
144	0.36	175	0.13
145	0.72	176	1.60
146	0.19	177	0.17
147	0.15	179	0.39

(1)	(2)	(1)	(2)
180	1.16	28	0.65
181	1.11	29	0.78
182	0.24	30	0.49
183/1	0.10	31	0.53
183/2	0.10	32	0.20
184	0.24	33	0.21
185	0.56	34	0.61
186	0.51	35	1.10
188/1	0.63	36	0.64
188/2	1.20	37	0.65
189/1	1.06	38	0.37
189/2	0.53	39	0.38
189/3	0.53	45	0.56
191/1	0.13	46	0.20
191/2	0.13	47	0.30
191/3	0.13	48	0.32
योग . .	<u>112.16</u>	49	0.20
		50	0.20
ग्राम टाटीघाट		57	0.46
		58	0.46
6	0.59	60	0.45
12	0.90	61	0.43
13	0.27	62	0.43
14	0.57	63	0.43
15/1	0.53	90	0.26
15/2	0.02	91	1.50
15/3	0.02	93	0.86
16	0.57	94	1.25
17	0.10	95	0.51
18	2.50		
19	0.73		योग . . <u>26.40</u>
20	0.74		
21	0.72		ग्राम कुंडा
22	0.85	129/2	1.62
23	0.68	130	1.43
24	0.26	131	0.06
25	0.43	132	0.93
27	0.49	133	0.80

(1)	(2)	(1)	(2)
134	1.50	168/9	0.08
135	1.34	168/10	0.08
137	0.30	171	0.65
138	0.61	172	0.42
139	1.21	173	0.56
140	0.40	174	0.28
141	0.40	175	0.85
142	0.50	176	0.41
143	0.75	177	0.38
145	2.40	178	0.12
146	0.40	182	0.33
147	2.46	183	0.85
148	1.01	197/1	0.33
149	1.88	197/2	0.47
150	0.76	198	1.31
151	0.38	200/1	0.22
152	0.12	200/2	0.60
153	0.12	200/3	0.60
154	0.70	201	1.47
155	0.24	203	1.88
156	1.13	206	0.40
158	0.98	208/1	0.55
159	1.51	208/2	0.24
160	2.36	208/3	0.36
161	0.83	252	0.44
163	0.82	253	1.45
164	0.35	254	1.21
165	0.73	255	0.40
166	0.34	256	2.70
167	0.38	257	2.70
168/1	0.08	258	0.54
168/2	0.12	259	2.51
168/3	0.36	260	0.75
168/4	0.12	262	2.25
168/5	0.36	263	2.25
168/6	0.28	264	2.26
168/7	0.30	265	0.96
168/8	0.08	267/1	0.91

(1)	(2)	(1)	(2)
267/2	0.92	199	0.16
269	1.11	200	0.48
270	2.79	201	0.51
271	1.56	202	1.14
272	1.40	203	0.25
273	0.89	204	0.14
274	2.14	205	0.34
275	2.23	218	1.21
276	1.36	400	0.22
277	1.60	401	0.27
278	1.54	402	0.60
योग . .	<u>85.76</u>	403	0.35
		404	0.35
ग्राम मानेगांव		405	0.20
		406	1.34
177	0.27	408	0.80
178	0.26	410/1	0.80
179/1	2.00	410/2	0.21
179/2	0.34	410/3	0.40
180	0.47	413	0.54
181	0.03	414	0.05
182	0.09	415	0.23
183	0.43	417	0.23
184	0.19	418	2.01
185	0.75	419	1.03
186	0.47	420	0.58
187	0.10	421	0.44
188	0.09	422	0.21
189	0.07	423	0.25
190	0.42	424	1.07
191/1	1.35	426	0.29
191/2	0.20	427	0.27
192	0.18	428	0.43
194	0.81	429	0.36
195	0.07	430	0.49
196	0.70	431	0.08
197	0.57	432	0.90
198	0.19	433	1.18

(1)	(2)	(1)	(2)
464/2	0.20	506/2	0.40
468	0.32	507	0.21
469	0.52	508	0.50
470	0.62	509	0.46
471	0.43	511	0.51
472	0.43	512	2.49
473	0.47	514	0.29
474	1.45	515	0.56
475/1	0.81	516/1	0.53
475/2	0.80	516/2	0.54
484/1	0.50	516/3	0.54
484/2	0.25	517	0.70
485	0.81	518	0.37
486/1	0.62	519	0.41
486/2	0.62	520	0.68
487	1.28	521	0.74
488	1.12	522	0.99
489	0.33	523	0.47
490	0.41	524	0.28
491	0.67	525	0.14
492	0.23	526	0.43
493	0.36	527	0.59
494	0.48	528	0.37
495	0.43	योग . . .	<u>64.23</u>
496	0.34	महायोग . . .	<u>288.55</u>
497	0.45		
498	0.40	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—चुटका	
499/1	0.60	परमाणु विद्युत् संयंत्र स्थापित करने हेतु एवं आवासीय	
499/2	0.56	कॉलोनी हेतु.	
500	0.65	(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर,	
501	1.19	मण्डला, सूचना केन्द्र, चुटका परमाणु विद्युत् परियोजना,	
502/1	0.24	नारायणगंज एवं मुख्य परियोजना अभियंता, कार्यालय चुटका,	
502/2	0.40	परमाणु विद्युत् परियोजना, 1049, साउथ सिविल लाईन,	
503	0.23	एस. सी. बैनर्जी मार्ग, पचपेढी, जबलपुर (म. प्र.) में किया	
504	0.50	जा सकता है.	
505	0.43	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
506/1	0.42	लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 10 जून 2013

प्र. क्र. 04-अ 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	इन्दरगढ़	बैना	3.525	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया (म. प्र.).	श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	इन्दरगढ़	पचोखरा	1.05	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 दतिया (म. प्र.).	श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की 8 एल.ए. नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 12 जून 2013

प्र. क्र. 18-अ 82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	(1) खजूरी दास (2) गुर्जरखेड़ी (3) काशीपुर (4) नटेरन (5) चमराहा (6) सेरु (7) रावन	5.10 1.60 1.00 9.00 2.50 8.20 2.25	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंजबासौदा.	संजय सागर बाह मध्यम सिंचाई परियोजना (नहर) कार्य हेतु.
			योग . . . 29.65		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिला अध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 27 जून 2013

क्र. भू-अर्जन-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मण्डला	बिछिया	भीमडोंगरी प.ह.नं. 57	2.79	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., जबलपुर.	बार्डर चैक पोस्ट निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.